

फार्म

PS-466

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति विवरण वर्ष:- 2017-18

1-अधिकारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो :- राम कुमार राय (राज्य पुलिस सेवा)

2. वर्तमान धारित पद:- एस.डी.ओ.पी. महिदपुर

3:-वर्तमान वेतन:- 22890-36863-6600

अगली वेतन वृद्धि की तारीख-

जुलाई 2018

उस जिले उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थिति हों	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद पट्टा, बंधक विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसमें अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
01. ग्राम पलिया तहसील मुहम्दाबाद जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश	दो मकान	25 बीघा जमीन कृषि भूमि	80 लाख	पिता श्री बैजनाथ राय के नाम से है।	पैतृक विरासत में	7 लाख	
02. उज्जैन	एक मकान	-	45 लाख	माता श्रीमती लखेशरादेवी राय के नाम से	-'-	-'-	
03. उज्जैन	एक प्लॉट	-	15 लाख	पत्नी श्रीमती मंजुलता राय	एल.आई.सी. हाउसिंग फायनेंस से लोन लेकर स्वयं खरीदा है।	-'-	

1. जहाँ लागू न हो उसे काट दीजिए

2. ऐसे मामले में जहाँ मूल्य या सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक(आचरण)नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माह की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके किसी परिवार के सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर

नाम:- राम कुमार राय

पद:- उपपुलिस अधीक्षक

स्थान:- महिदपुर

16/3/18